



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा (छ0ग0)
दूरभाष - 07817-224000 ई-मेल dlsa.ianigir@gmail.com

-// विधि आदेश // -

क्रमांक :- क्यू / फा.क.-60/2016 जांजगीर, दिनांक 14/11/2017

नालसा विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लीनिक) विनियम, 2011 के तहत निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करने हेतु निम्नानुसार लीगल एड क्लीनिक की स्थापना किया जाना आदेशित किया जाता है :-

क्रमांक	स्थापित किए जाने वाले लीगल एड क्लीनिक का स्थान	कार्य दिवस व कार्य अवधि	नामित पैनल अधिवक्ता का नाम	मोबाईल नंबर	कार्य एवं उपस्थिति प्रमाणकर्ता
01	02	03	04	05	06
01	बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जिला अस्पताल, जांजगीर-चांपा, छ0ग0	माह के प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार का कार्यदिवस,	सुश्री सुमद्रा यादव, निवासी वार्ड नं011, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	8103442665	सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0

कार्य की शर्तें :-

- लीगल एड क्लीनिक में कार्य हेतु नामित अधिवक्ता अपनी मासिक उपस्थिति एवं मासिक रिपोर्ट कालम संख्या 6 में दर्शित प्राधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर उपस्थिति रजिस्टर एवं कार्य संपादन रजिस्टर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा के समक्ष अवलोकन हेतु माह की 02 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- पैनल अधिवक्ता सारणी में कालम संख्या 02 में दर्शित अपने कार्य स्थल पर कालम संख्या 03 में दर्शित अवधि के अलावा अन्य किसी दिवस अथवा समय में उपस्थित नहीं होंगे।
- पैनल अधिवक्ता को नालसा लीगल एड क्लीनिक विनियम 2011 के विनियम 17 के तहत निर्धारित मानदेय मासिक उपस्थिति प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार प्रदान किया जाएगा।
- किसी भी समय पैनल अधिवक्ता को बिना कोई कारण बताए कार्य से विमुक्त किया जा सकेगा।
- पैनल अधिवक्ता यदि अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते हैं तो लिखित सूचना 15 दिन पूर्व कार्यालय में आवश्यक रूप से देंगे।
- पैनल अधिवक्ता द्वारा विधिक सलाह एवं विधिक सहायता के परिप्रेक्ष्य में किया गया कार्य पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।
- पैनल अधिवक्ता अपने द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कार्य सम्पादन रजिस्टर में विधिवत् इंदराज करेंगे एवं उसे सुरक्षित रखेंगे।

(राजेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा, छ0ग0



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा (छ0ग0)
दूरभाष - 07817-224000 ई-मेल dlsa.janjgir@gmail.com

-// विधि आदेश // -

क्रमांक :- क्यू / फा.क.-60/2016 जांजगीर, दिनांक 24/11/2017

नालसा विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लीनिक) विनियम, 2011 के तहत निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करने हेतु निम्नानुसार लीगल एड क्लीनिक की स्थापना किया जाना आदेशित किया जाता है :-

क्र0	स्थापित किए जाने वाले लीगल एड क्लीनिक का स्थान	कार्य दिवस व कार्य अवधि	नामित अधिवक्ता का नाम	पैनल नंबर	मोबाईल नंबर	कार्य एवं उपस्थिति प्रमाणनकर्ता
01	02	03	04	05	06	
01	ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय (विधि) जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	माह के प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार का कार्यदिवस,	श्री बृजमोहन सिंह दीक्षित आ0श्री बांके बिहारी सिंह निवासी खोखरा, केरा रोड जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	93292 91395	विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	

कार्य की शर्त :-

- लीगल एड क्लीनिक में कार्य हेतु नामित अधिवक्ता अपनी मासिक उपस्थिति एवं मासिक रिपोर्ट कालम संख्या 6 में दर्शित प्राधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर उपस्थिति रजिस्टर एवं कार्य संपादन रजिस्टर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा के समक्ष अवलोकन हेतु माह की 02 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- पैनल अधिवक्ता सारणी में कालम संख्या 02 में दर्शित अपने कार्य स्थल पर कालम संख्या 03 में दर्शित अवधि के अलावा अन्य किसी दिवस अथवा समय में उपस्थित नहीं होंगे।
- पैनल अधिवक्ता को नालसा लीगल एड क्लीनिक विनियम 2011 के विनियम 17 के तहत निर्धारित मानदेय मासिक उपस्थिति प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार प्रदान किया जाएगा।
- किसी भी समय पैनल अधिवक्ता को बिना कोई कारण बताए कार्य से विमुक्त किया जा सकेगा।
- पैनल अधिवक्ता यदि अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते हैं तो लिखित सूचना 15 दिन पूर्व कार्यालय में आवश्यक रूप से देंगे।
- पैनल अधिवक्ता द्वारा विधिक सलाह एवं विधिक सहायता के परिप्रेक्ष्य में किया गया कार्य पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।
- पैनल अधिवक्ता अपने द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कार्य सम्पादन रजिस्टर में विधिवत् इंदराज करेंगे एवं उसे सुरक्षित रखेंगे।

(राजेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा, छ0ग0